

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कर्मचारी नाम, भूमि और उपयोग का विवरण
2. वर्तमान धारित पद कर्मचारी नाम
3. वर्तमान वेतन

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा व्यापारी | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर थायी है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार आवंटित किया गया ***खारीद, पद्धति, विवासन, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अवित को गई हो उसका नाम तथा व्यापारी | संपत्ति से वापिक आप | अधिकारित |
|---|--|------------------|------|--------------------------------|---|--|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| <u>श्रीगंगांव ज़िला गोदावरी</u> | <u>आवासीय</u> <u>गोदावरी</u> <u>पी. एच. एस.</u> <u>पालकल्लू</u> <u>पालकल्लू-५</u> <u>पालकल्लू-६</u> <u>पालकल्लू-७</u> <u>पालकल्लू-८</u> | — | — | <u>३० लाख</u> <u>३० लाख</u> | <u>२-०२१</u> <u>१९९९</u> | <u>६०,०००/-</u> | — | — |
| | | | | | | | | |

हस्ताक्षर १०.१.२०२०

नाम कर्मचारी नाम
पद कर्मचारी नाम

दिनांक १०.१.२०२०
शाकेसुभी—२

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विवित के सम्बन्ध में लागभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समाविलित हैं।

टिप्पणी : सम्प्रदेश शासकीय सेवक (आवास) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम क्षेणी, द्वितीय क्षेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवैधित है कि वह सेवा में प्रथमी नियुक्ति के समय और उसके बाद भर कर प्रस्तुत करें और उसमें एक उत्तरक स्वामित्व की तरीख उत्तरक उपर्याहारत दें गिर्वाया या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जारी अवैधित प्रथमी नियुक्ति के नाम पर पट्टे द्वारा घाराधारित समस्त ग्रन्थन सम्पत्ति के ब्यारे हैं।

असमाप्ति—१४-२-२००१-५,०००.